[Mr. Chairman] select one of them for a statement by the concerned Minister at the sitting of the House on the following day. The Member and the Minister concerned will be informed about the admission of the notice. The rest of the notices shall be treated as disallowed. Any Member whose notice so stands disallowed will, however, have the right to revive his notice for a subsequent day by giving a fresh notice, and such notice will be reconsidered by me along with other notices received for that day. This will enable me sometimes to admit a notice which I could not admit on an earlier day because I gave priority to some other notice on that earlier day.

This does not necessarily mean that there will be a Calling Attention Notice every day, because admission of notice will be entirely subject to the rules and subject to my judgment that the matter sought to be raised calls for an urgent statement from the Minister. It may be that in a special case I may admit a notice received on a particular day for the same day if I am satisfied that the matter is one of such importance and urgency that an immediate statement from the Minister is called for.

I propose to adopt this procedure as an experiment to begin with and shall watch how it works.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन् एक प्रश्न मैं करना चाहता हूं। आपने जो व्यवस्था दी है वह व्यवस्था तो चल ही रही थी, उसमें नवीनता क्या है। आप को लोगों ने इतना लम्बा चौड़ा बयान पढ़ने की तक्लीफ दी, लेकिन मैं समझता हूं कि यह सब रूल्स में है और आप को पूरा अधिकार है।

MR. CHAIRMAN : I have stated my view. You can discuss it with me. There is no question of ruling. It is a question of trial and error so far as I am concerned. Therefore, you can discuss it with me and I shall certainly hear you.

HRI A. P. CHATTERJEE (West Bengal) : Sir, I respectfully accept your ruling, but I only request you to consider this point whether, when there are two Calling Attention Notices of urgent importance, the other one can be taken up t 5 O'clock the same day.

MR. CHAIRMAN : That I shall con sider.

SHRI A. D. MANI (Madhya Pradesh) Sir, on a humble point of clarification . ..

MR. CHAIRMAN : No clarification here. You can discuss it with me later.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED POLICE FIRING IN BALUA AND ALLEGED POLICE ATROCITIES IN GONDA AND CHHATA

श्री तारकेश्वर पांडे (उत्तर प्रदेश) **तथा कुछ अन्य सदस्य** : श्रीमन्, हमें निम्नलिखित विषयों की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाना है :

1. महावीर जयन्ती जलूस पर बलिया शहर में हाल में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

2. गोंडा में कथित पुलिस अत्याचार,

3. मथुरा जिले में छाता में कथित पुलिस दमन, अदालती जांच और पुलिस अधिकारियों के तबादले की मांग और भूतपूर्व विधान सभा सदस्य, श्री लक्खी सिंह द्वारा आमरण अनशन।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : Sir, I have ascertained the facts regarding the police firing in Ballia and the alleged police atrocities in Gonda and Chhata in Mathura District.

According to information furnished by the State Government, a customary Maha-biri Jhanda procession was taken out at about *a* p.m. on August 8, ig68. Adequate police and magisterial arrangements had been made to ensure maintenance of law and order. When the procession reached the Bishunipur mosque, the processionists grew violent and resorted to indiscriminate brickbatting at the police and the magistrates on duty. The Sub-Divisional Magistrate, the Deputy Superintendent of Police and a number of policemen received injuries. After repeated warnings and a lathi charge and proved ineffective, the Sub-Divisional Magistrate ordered firing after giving a warning

. f the assembly which had been declarec •llegal. Three rounds were fired. The District Magistrate has been asked to hold an enquiry into the police firing. Thret persons were injured, of whom one succumbed to his injuries at about midnight.

On July ii, 1968, Shri Ram Sewak Yadav, M.P. met the District Magistrate, Gonda, along with some S.S.P, workers and complained that the police had committed atrocities in village Hathiagarh. It was alleged that the police had misbehaved with womenfolk in the village, stripped them and paraded them up to the police station. It was also alleged that the police had looted the properties of almost all the residents of the village. According to the report of the State Government, the alleged incidents were in connection with the action taken by the police on May 30, 1968, to rescue a Forest Guard who was reported to have been surrounded by 20 persons of village Hathiagarh and two other villages. Two police constables are reported to have been assaulted by persons from whom enquiries were being made. Two muskets and 20 cartridges were snatched away and a constable was detained by the accused persons. The Station Officer reached the spot, recovered the constable and the two muskets from the custody of the accused persons. Six persons were taken into cus-tc ! • i 1 connection with this incident and a rise was register, 1. According to information furnished by the State Government, no incidents of dishonouring of women are reported to have taken place and no villager had made any complaint in this regard in the course of enquiries made. The State Government have reported that the Superintendent of Police, Mathura was informed on August 1, 1968 that the police were alleged to have beaten up some children and women in Chhata as a result of which one girl had died and two women had been seriously injured. The Sub-Divisional Magistrate was immediately deputed to proceed to the town. He reached the place at about 12 noon the same day and found that two women and a girl were lying on cots surrounded by a number of women. After a great deal of persuasion it was arranged to send the three persons to the hospital at about 2 30 p.m. At about 3 p.m. a complaint was filed at the police station by Shri Lakhi Singh regarding this incident. He also demanded that the Station Officer and the Second Officer at the Chhata Police Station should be transferred and proceeded on a fast with effect from August 11, 1968. Five persons have started a counter-fast from August 13, 1968 in protest against the fast of Shri Lakhi Singh. A magisterial enquiry into this incident has been ordered by the District Magistrate. The situation in the town is peaceful.

MR. CHAIRMAN : Mr. Pande.

श्री तारकेश्वर पांडे : मैं यह जानना. . .

SHRI M. P. BHARGAVA (Uttar Pradesh) : On a point of procedure I would like to kndw whether the hon Minister has made the statement *suo molu* as far as parts (ii) and (iii) of the Calling Attention Notice are concerned. Mr. Tarkeshwar Pande has read out only tbe first part of the Calling Attention Notice. What about tbe other two ?

MR. CHAIRMAN : There are other Members also.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : आपके चेम्बर में भी मैंने यह पाइन्ट उठाया था कि जहां तक गोंडा का सवाल है, मथुरा का सवाल है यह तो हमने कालिंग अटेंशन दिया था, एक बार नहीं कई बार दिया था, महावीर पर भी हमने दिया था जो 8 अगस्त को फायरिंग हुई, इन तीनों को एक ही में मिला दिया गया, यह किस प्रोसीजर के मुताबिक हुआ है? देखा जाय तारकेश्वर जी बलिया के ऊपर बोलेंगे, गोंडा के बारे में उनकी जानकारी है नहीं, छात, के बारे में उनकी जानकारी है नहीं, उसके बारे में जानकारी हमारी है। हमारा नाम दिया गया है इसमें दसवां। तो यह कौन सा प्रोसीजर है?

MR. CHAIRMAN : I can assure you that you will be called about it to ask about Gonda. There is no question about that. You can leave it to me.

श्री तारकेश्वर पांडे : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब महावीर जी का जलूस 8 तारीख को चला और मस्जिद के इर्दगिर्द बसनेवाले मुसलमानों को किसी तरह की आपत्ति नहीं थी, कोई अशांति का वातावरण नहीं था तो बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के, बिना टाइम दिए हुए लाठी चार्ज क्यों किया गया और लाठी चार्ज

[श्री तारकेश्वर पांडे]

करने के बाद जबकि जिलाधीश और पुलिस कप्तान अपने बंगले में मौजूद थे, उनको इस गम्भीर स्थिति की सूचना क्यों नहीं दी गई, उनको क्यों नहीं बुलाया गया और एक साधारण मजिस्ट्रेट ने जिसको उस जिले की कोई जानकारी नहीं है और एक साधारण डी० एस० पी० ने बिना किसी किस्म की सलाह किए गोली चलाने की आज्ञा क्यों दी? यह मेरी सूचना है कि मजिस्ट्रेट ने किसी प्रकार की कोई सूचना जनता को नहीं दी और बिना जनता को सूचना दिए, बिना इन्तजार किए, बिना प्रतीक्षा किए गोली चला दी गई। वहां यह तनाव का वातावरण पैदा किया गया, तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी सूरत में क्या सरकार के लिए यह सम्भव नहीं है कि किसी हाई कोर्ट के जज को मनोनीत करके इसकी जांच करवाएं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि आज से 30 वर्ष पूर्व इसी स्थान पर गोली चलाई गई थी। हाई कोर्ट द्वारा इसमें फैसला दिया गया था कि यह जलूस कानून-सम्मत है, वह निकाला जा सकता है। हिन्दू और मुसलमान दोनों की रजामन्दी से जलूस निकलता है। ऐसी स्थिति में विषाक्त वातावरण पैदा करने की जिम्मेदारी वहां के स्थानीय शासन की है और उसी स्थानीय शासन द्वारा जांच कराई जाएगी तो क्या सफलता मिलेगी। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार किसी न्यायाधीश को नियुक्त करके जांच कराएगी जिससे इस प्रकार की घटनाएं न घटें। एक बात और जानना चाहता हूं...

श्री राजनारायण : एक प्रोसीजरल पाइन्ट है। मेरा निवेदन है कि बलिया के सम्बन्ध में पांडे जी ने पूछा, तो बलिया के सम्बन्ध में जो पूछना चाहते हैं वे लोग पूछ लें, उसके बाद गोंडा लिया जाय और फिर मथुरा लिया जाय। मैं चाहूंगा कि इस समय जो बलिया के सम्बन्ध में पूछना चाहें उनको मौका दें, मैं भी बलियां के सम्बन्ध में जानता हूं।

MR. CHAIRMAN : You can ask ques tions about Ballia, Gonda and all thai when your turn conies.

श्री तारकेश्वर पांडे : मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां की जनता जो जलूस में सम्मिलित थी अगर वह वाइलेन्ट हो गई, पुलिस के ऊपर उसने आक्रमण करना शुरू किया, अगर यह बात सही है तो ऐसे आक्रमणकारियों को—लाठी चार्ज किया गया, गोली चलाई गई—ऐसे कानून भंग करने वालों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया?

श्री विद्या चरण शुक्ल : सभापति महोदय, मैंने अपने मूल वक्तव्य में कहा कि इस तरह का जो जलूस है वह हर साल बलिया में निकला करता है और इस वक्त भी निकाला गया और जो साधारण इन्तजाम किया जाता है उससे ज्यादा इन्तजाम इस साल किया गया क्योंकि वहां कुछ तनाव सा था। जब यह जलूस इस मस्जिद के पास पहुँचा तो वहां झगड़ा शुरू हुआ। यह हमारी सूचना है कि वहां उन्हें कई बार चेतावनी दी गई और चेतावनी से जब काम नहीं चला तो उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया और जब लाठी चार्ज से भी काम नहीं चला और झगड़ा बढ़ने की आशंका होने लगी, मस्जिद के चारों तरफ जो बेरीकेड लगा था, लोगों ने उसमें घुसने की कोशिश की तो गोली चलाने की जरूरत हुई। क्यों लोग गिरफ्तार नहीं हुए, इसी तरह की छोटी मोटी चीजें रह गई हैं, उसी के लिए कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जल्दी से जल्दी रिपोर्ट पेश करे। यह बात नहीं है कि वहां के लोगों को जो जलूस में थे उनको चेतावनी नहीं दी गई, चेतावनी जरूर दी गई, चेतावनी से काम नहीं चला तब लाठी चार्ज किया गया और जब उससे काम नहीं चला तब गोली चलानी पड़ी।

श्री तारकेश्वर पांडे : यह नहीं बताया कि हाई कोर्ट के जज जांच करेंगे या नहीं?

(No reply)

SHRI M. P. BHARGAVA : May I know from the hon. Minister what was the reason of beating up the three people in Chhata, two women and one girl?

SHRI CHANDRA SEKHAR (Uttar Pradesh) : On a point of order, Mr. Chairman. I want to raise a point of procedure. Here if all the three matters are discussed together, it will be very difficult, because some hon. Members, as Mr. Rajnarain said, may be interested in Bal-lia and they may be having more information about Ballia, others may be interested in Chhata or Gonda. So, Mr. Chairman, I request you for your consideration that hon. Members who want to ask questions about Ballia should be allowed first. Then only the question of Gonda and Chhata should be taken up. Otherwise everything will be mixed up in the reply and also in the proceedings.

MR. CHARIMAN : I am going to give that opportunity to everyone to raise points about Ballia, Gonda and Chhata. There is no question about that.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, गोंडा को, छाता को, बलिया के बाद लीजिए। पहले बलिया के बारे में जो लोग सवाल करना चाहते हैं उनको मौका दीजिए। बलिया खत्म हो जाय तो गोंडा लीजिए, गोंडा खत्म हो जाय तो छाता, मथुरा लीजिए।

SHRI A. P. CHATTERJEE (West Bengal) :Mr. Chairman, Sir, as far as the Ballia firing is concerned, that is absolutely on a different footing and level than the police atrocities in Gonda and Chhata. Therefore these two points should not be combined because, for instance, I myself would perhaps support the police firing in Ballia but not the police atrocities in Gonda and Chhata. So, these two things wiH have to be taken up separately.

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra 'Pradesh) : Sir, this matter was raised and the Calling Attention Notice was given separately but some hon. Members raised the question about these two things, and it was directed by the Chair that in regard to all these matters the Home Minister should make a statement. I think, Sir, it will help a clear understanding of the situation to confine to Ballia for those who are interested in that; then the other things can be taken up.

MR. CHAIRMAN : All right, I agree. Who would like to ask for Ballia ?

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI (Rajasthan) : On a point of information, Sir, does it mean that the hon. Members whose names have been mentioned here will be allowed three chances, one for each matter? Does it mean that?

MR. CHAIRMAN : Yes, but you will try to be as brief as possible.

SHRI CHANDRA SHEKHAR : Mr-Chairman, Sir, may I know from the hon. Minister whether he has received any report from the Government of Uttar Pradesh or the Rajyapal there that all the political parties of Ballia had submitted a memorandum to the Governor and that they had demanded a judicial enquiry. I have got a copy of that memorandum which has been sent to me by the S.S.P, leader Jagannath Shastri who was present there at the time of the incident. Certain communal elements wanted to give this a colour if communal conflict when there was no communal tension at all. If it was all due to the inefficiency of the administration there, I want to know whether the hon. Minister has any information that though the PAC was present there is a large number—as indeed they have been saying that there was a tension prevailing in the city—why did they not arrange for tear gas or other precautionary measures. There was no arrangemens for tear gas if it was true that tension was there. In the first information report they sent, it was mentioned that because namaz was going on in the mosque there was every likelihood of tension being created. Evening namaz, if I know correctly, begins at 6"35 or at 6'37 and lasts only five minutes. Then why was the firing resorted to after 7 p.m. ? There was no Hindu-Muslim tension in the city. There was no tension in any locality of the city and this firing which was resorted to because of the highhandedness of certain officials present here, was uncalled for. The other point Mr. Chairman, Sir, which I want to bring to the notice of the Government is that not only this, but leaders of the S.S.P., the Communist Party and the Congress who went there just after the incident tried to help the injured people; but those people were accused of inciting communalism by the officials and certain communal elements. There has been a peculiar phenomenon operating in the Ballia city that the communalists and the authorities have joined together while all other secular elements and all other political elements are of the opinion that this has been an

[Shri Chandra Shekhar] uncalled for firing. May I know from the hon. Minister whether he has received he petitions submitted by all the political parties—that is, by the Nagarik Samithi, etc. of Ballia—where they had demanded that a judicial enquiry should be held in this matter and whether the Government will be kind enough—by the "Government" I mean the* "Union Government"— to ask their representatives to send their memorandum to them or if the hon. Minister so likes I can pass on the memorandum to him for enquiring into the whole conduct of the officials. I also charge the State Government that is operating there in Lucknow that they are callous in treating the reports submitted, as has been mentioned by my friend Mr. Tar-keshwar Pande, and that because of their negligence this firing was resorted to.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Sir, as far as the facts of the case are concerned, it has been reported that while the procession was proceeding towards the mosque and just before it reached the front of the mosque, the bullock cart on which the idols were kept and the bhajan party was sitting, that bullock cart was stopped and the cart driver along with the bullock cart disappeared from there because some miscreants wanted that particular portion of the procession should pass the mosque just at the time when namaz was being held there. Then there was a demand to make the bullock cart go along the route of the procession and then all the trouble started.

As far as the question of the memorandum is concerned, Sir, I am at pre: i nt unaware whether any memorandum has been received by us. This memorandum must have been received by the U.P. Government. The hon. Member is correct in saying that the political parties are unanimous as far as this matter is concerned. I must give credit to them that all of them have done their best to see that there is no communal tension, the communal colour under these circumstances is completely avoided.

As far as the other matter regarding tear gas and other things are concerned, specifically for these very matters the District Magistrate has been asked to enquire into. And when the memorandum is received we shall consider the demands made in the memorandum.

SHRI CHANDRA SEK.HAR : Sir, my point is this. Is it in the knowledge of the Government that before this particular date, that is the 8th of August, certain leaflets were distributed in Ballia where it was tried to create an impression that Muslim communalism was trying to create difficulty for the procession? Mr. Chairman, with your permission I quote only one sentence from the letter of the SSP leader Mr. Jagannath Shastri :

"इस बात की आप लोगों को व्यक्तिगत जानकारी के लिये लिख रहा हूं । केन्द्रीय सरकार को इस पर जांच करानी चाहिये । कुछ व्यक्तियों के पास व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखे गये थे ।

'जय भारत' 'जय महावीर'

With these captions letters were written and distributed in the Ballia city. Why did not the police take precautionary measures before and why did not they try to indicate or investigate who were the people behind all this? The only thing they did was to resort to firing,' unprovoked firing. And when all the political leaders tried their best to see that there was no communal tension, if all the authorities were one in the matter, why did they not impress upon the Governor of U.P. to institute a judicial enquiry into the matter. If all the authorities are one in the matter a judicial enquiry should be held to find out who is at fault.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I have already indicated that there was tension before the procession started and the hon. Member has given the evidence of the tension that was prevailing before the procession started and as far as the unanimity of the political parties is concerned, I have said that there is unanimity but this unanimity came after the incident took place; not before that. And when the procession was going on there were disturbances as soon as the procession was about to reach the mosque and I have already stated that the authorities there tried to quell the disturbances. They did try but they were unsuccessful and that is why unfortunately the firing had taken place.

MR.. CHAIRMAN : I would say I was in a state of confusion. Mr. Chandra Shekhar raised a point of order and I

agreed to it that this should be separated. Unfortunately and luckily for Mr. Chandra Shekhar, his name is not to be found here at all and I have called him. Tomorrow people may say that I am calling the persons whose names are not found here. I want to make my position quite clear. Tomorrow you should not raise it as a precedent that I have allowed Mr. Chandra Shekhar. He has made his contribution quite all right.

SHRI Z. A. AHMAD (Uttar Pradesh): Sir, I want to know from the honourable Minister whether he is aware of the fact that there are certain complications inside the municipal board as a result of which certain other communal-minded elements were planning to bring about a clash on that day in front of the mosque in order to serve their own nefarious ends. That is number one. Then number two. I want to know whether he knows that before this incident took place a number of unauthorised leaflets were circulated—leaflets of an inflammatory nature—and whether he is aware of the fact that several political workers went to the District Magistrate and requested him to find out as to who was circulating those leaflets. The District Magistrate said that he was not aware of any leaflets in circulation and that he would look into the matter although he did net do anything. And those inflammatory leaflets had their reflection on certain persons belonging to a certain community. Is he aware of the fact that special preparations were being made in order to bring about a clash in front of that mosque on that particular day. In view of all this, the question is, why did the District Magistrate and the the police authorities not take adequate steps in order to stop the occurrence of such a clash? Before the clash took place they did nothing. They did not arrest anyone. They did not detain the antisocial elements—the communal-minded elements who were planning to bring about a clash. They did not do anything. They allowed matters to drift when an extraordinary procession was deliberately taken out in order to bring about such an ugly situation in front of the mosque. Now after that situation developed, my repori is that the Police Force stationed thert was quite enough to disperse the crowc through a lathi charge. In fact aftei the first lathi charge, almost half of the crowd disappeared. The remaining crowc also could have been handed more tact fully and could have been dispersed througf a lathi charge but the Police got panicky and untimately resorted to firing. My contention is that the incompetence of the District Magistrate and the Police has been proved to the hilt, that they did not take any precautions earlier shows that they did not follow the instructions of the Government that in such cases strict action should be taken before the incident occurs. They did not follow that; they violated the instructions of the Government.

SHRI B. K. P. SINHA (Bihar) : The District Magistrate and the S.P., according to his statement, were resting in their bungalows.

DR. Z. A. AHMAD : Yes, Thirdly, when the situation got almost out of their hands, when they thought that they could not manage, they resorted to firing, though the situation that existed at that time did not warrant the firing and through a lathi charge the crowd could have been dispersed. In view of all this, I submit that it is a proper case for enquiry by a judicial authority. It is not a case which should be handed back to the same officers who are responsible for this ugly development. Therefore I submit that a judicial enquiry into the matter should be made.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : The Member mentioned something about the complication about the Municipal Committee at Ballia. We are aware of that complication and that was also one of the complicating factors as far as this incident goes. Shri Chandra Shekhar mentioned about the leaflets and we shall find out certainly why no precautions were taken. As far as the special precautionary matters were concerned, I have already stated that in anticipation of the trouble and because of the tension prevailing, some precautions had been taken, a barricade was erected across the Mosque to see that the procession did not enter it. It is another matter that the precautions that had been taken were not enough or more should have been taken. This could be argued. As far as the question of a judicial enquiry is concerned, I have already stated in reply to Mr. Chandra Shekhar that when the memorandum is received, we shall consider it.

श्री राजनारायण : आपने मेरा नाम तो क्रम से लिया । आप किसी और का नाम क्रम से नहीं लिया करते ।

MR. CHAIRMAN : I gave vou an I assurance that your name shall come.

श्री राजनारायण : हम यह बता देते हैं कि देख लिया जाय हमारे साथ कितनी ज्यादती होती है।

मेरा प्रश्न यह है कि दो चीजें यहां पर छिपी हुई हैं। पहली बात तो यह कि लीफलेट निकाला और हमारे लोगों ने जाकर के अधिकारियों को बताया और अधिकारियों की ओर से यह कहा गया कि लीफलेट्स नहीं निकाले, उनकी जानकरी में कुछ बात नहीं है। यह इसी सदन में चर्चा हो गई। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने इसके बारे में क्या अहतियात बरती कि जब लीफलेट कई दिन पहले से बट रहे थे और राजनैतिक दल के प्रतिनिधि उनके पास जाकर बोले और कलेक्टर की ओर से पुलिस अधिकारी की ओर से कहा गया कि हमें लीफलेट की जानकारी नहीं है तो क्या यह एक सही कारण नहीं है। इस नतीजे पर आने के लिये कि वहां के अधिकारी उपेक्षा कर रहे थे और जान बूझ कर कोई गड़बड़ कराना चाहते थे।

दूसरी बात, मैं इस मौके पर माइनारिटी कम्यूनिटी को मुबारक बाद करना चाहता हूं। देखिये, मसजिद में नमाज हो रही थी, यानी माइनारीटी कम्यूनिटी ने इतनी अहतियात बरती कि वहां पर कोई रह नहीं गये थे, जितने मुसलिम थे वे नमाज पढ़कर करीब करीब चले गये थे। फिर झगड़ा किससे होता? मसजिद की दीवार से झगड़ा होता, ईंट से होता क्योंकि झगड़ा तो जो लोग कराना चाहते थे उनके दिमाग में था कि हिन्दू मुसलिम झगड़ा हो। एक बड़ा प्लान चल रहा है जिसको अगर यह सरकार नहीं जानती तो भगवान ही इस मुल्क को बचाए और भगवान ही नही है तो कौन बचाए। हमारा कहना है कि जब मुसलिम थे नहीं, केवल हिन्दुओं का ही प्रोसेशन था, तो कोई कारण नहीं था कि वहां उस समय गोली चलती, डंडे चलते, वहां सारा काम समझाने बुझाने से हो सकता था बशर्ते कि समझाने बुझाने की केपेसिटी, समझाने बुझाने की क्षमता रखने वाले अधिकारी वहां पर हों। और मैं सरकार से यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार अविलम्ब जुडीशनल इन्क्वायरि करे, राज्यपाल के भरोसे न रहे और न वहां के चीफ सेक्रेटरी के भरोसे रहे और न होम सेक्रेटरी के भरोसे रहे। क्या कारण है कि वहां पर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन होते हुए इतनी बड़ी घटना हो गई, सभी दल के लोग जो कि धर्मनिर्पेक्षता समाजवाद, जनतंत्र, राष्ट्रीयता में यकीन करते हैं वे सभी के सभी एक मत हैं कि जुडीशल इन्क्वायरी होनी चाहिये, नित्यप्रति तार आ रहे हैं, नित्यप्रति खत आ रहे है। तो यह सरकार विलम्ब क्यों कर रही है? इसमें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से पूछने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पूरी की पूरी केन्द्र की सरकार जिम्मेदार है। आज केन्द्रीय शासन वहां पर विराजमान है, राष्ट्रपति शासन विराजमान है और जितनी देर हो रही है जुडीशल इन्क्वायरी के होने में उतना ही न्याय को और दूसरा कलर देने का मौका यह सरकार देगी। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि जुडीशल इन्क्वायरी सेट अप करने का क्या कारण नहीं बनता है? क्या इस मामले में वह कारण विद्यमान हैं या नहीं। और जितने कारण जुडिशल इन्क्वायरी को सेटअप करने के लिये होते हैं वह सभी विद्यमान हैं तो अविलम्ब, फौरन, आज, जुडिशल इन्क्वायरी वहां पर शुरू होनी चाहिए एक इन्डिपेन्डेन्ट हाईकोर्ट के जज के जरिये। कोई रिटायर्ड जज हो तो और ज्यादा अच्छा है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक जिम्मेदारी का सवाल है, मैं तो पहले ही कह चुका हूं जिम्मेदारी हम लोगों की जरूर है और उस जिम्मेदारी का पालन करने में हम लोगों की कोई इन्कारी नहीं है। जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्नों का सवाल है, मैं पहले उत्तर दे चुका हूं, और यदि आप इजाजत देंगे तो मैं फिर अपने उत्तर को दोहरा दूं।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है। जुडीशल इन्क्वायरी

क्यों नहीं बैठा देते । इसका उत्तर हम चाहते हैं ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैंने इसको कहा है, माननीय सदस्य ने इसको सुना होता । जिस तरह का मेमोरेन्डम तमाम राजतिक दलों ने दिया, जहां तक मुझे ज्ञात है उसका मेमोरेन्डम हमारे पास नहीं है, हम उसको मंगायेंगे । जैसा माननीय चन्द्र शेखर जी ने कहा है उनके पास से लेकर फिर मंगाकर, जैसे ही वह मेमोरेन्डम मिल जायेगा, वैसे ही सोचविचार करेंगे ।

SHRI A. P. JAIN (Uttar Pradesh) : There is no question of the memorandum. The facts as already admitted by the Minister make out a good case for an immediate judicial enquiry and I think Mr. Rajnarain's demand is perfectly correct. If other parties have made a demand through memorandum, this House has also made a demand and the facts make out a perfect case. I do not know why the Minister is hesitating.

MR» CHAIRMAN : I am sure the Government will consider this matter carefully.

श्री रेवती कान्त सिंह (बिहार) : इतनी सब बातें होने के बाद यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के जो आफिसर हैं, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हों या गवर्नर साहब हों, वे तमाम जो कुछ भी रिपोर्ट भेज रहे हैं उनमें सत्य का इतना अंश नहीं है जितना होना चाहिये । मैं ऐसा नहीं कहता कि जो अभियोग लगाये जा रहे हैं वे सब के सब असत्य हैं, ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन अभियोग में और जो रिपोर्ट आई है दोनों में कांट्रेडिक्शन है, दोनों में विरोधाभास है, ऐसी स्थिति में गृह मंत्रालय को इस बारे में क्यों ऐतराज हो रहा है कि अपने इनिशियेटिव्ह पर वह जुडीशल इन्क्वायरी क्यों नहीं बैठा रही है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय सदस्य से मैं कहना चाहता हूं कि हमें कोई ऐतराज नहीं, मैंने कभी नहीं कहा मुझे ऐतराज है । मैंने कहा, हमको ज़रा इसको देख कर और इसके बारे में विचार करके निर्णय लेना होगा । इसके बारे में ऐतराज का कोई सवाल मैंने नहीं उठाया ।

شری ایم - اسد مدنی (اتر پردیش) :

جہاں تک یہ بلیا کے واقعات کا تعلق ہے یہ بہت ہی افسوس‌ناک ہے اور یہ واقع ہے کہ وہاں پر گولی چلانے کی کوئی خاص وجہ نظر نہیں آتی تھی - جیسا کہ اس سے پہلے کہا گیا ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ اس طرح سے لاٹھی چارج کیا جا سکتا تھا کیوں کہ آدھا مجمع وہاں سے ہٹ چکا تھا اور آسانی کے ساتھ باقی مجمع کو لاٹھی چارج یا اشک آور گیس سے ہٹایا جا سکتا تھا - لیکن بدقسمتی سے وہاں گولی چلی جس سے جانیں تک ضائع ہوئیں جس سے لوگوں کا کافی نقصان ہوا لیکن بدقسمتی سے یہ مسجد کے سامنے باجے بجانے یا اس طرح کے جھگڑے اور ایسے وقت میں جب کوئی مشتعل ہجوم ہوتا ہے تو معمولی وجہ سے بھی اور بلا وجہ بہت آسانی کے ساتھ کوئی ڈھیلا آیا اور جھگڑا ہوگیا یہ بدقسمتی ہے کہ انگریزوں کی تاریخ سے یہ منحوس ورثہ ہمیں ملا ہے جو ابھی بھی باقی ہے اور اس کو دور ہونا چاہئے - لیکن اس سے زیادہ پریشانی اس بات کی ہے ہماری ہوم منسٹری نے اس معاملہ میں پوری توجہ کی یا نہیں - ۲۹ جون کو " آرگنائزر " میں گول والکر جی کی طرف سے ایک انٹرویو شائع ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ مسجدوں میں ہتھیار جمع کئے جاتے ہیں - اور یہ بھی کہا گیا کہ سینٹرل سی - آئی - ڈی کے ایک انسپکٹر یا بڑے آفیسر کوئی آئے تھے جس کو انہوں نے بتلایا تھا اور انہوں نے جاکر کئی ترک ہتھیار برآمد کئے کسی مسجد سے - اس طرح سے کسی عبادت گاہ کے متعلق جو ایک محترم جگہ ہے اگر لوگوں میں بڑی جماعت اور بڑے آدمیوں کی طرف سے جن کے لاکھوں رضاکار ہیں جو ٹریننگ سے مسلح ہیں اگر اس طرح عوام میں آگ پیدا کی

[شری ایم - اسد مدنی]

جائے تو پھر مسجد عبادت گاہ سے کیا کیا حادثے نہیں ہو سکتے - جہاں پبلک جوش میں آ جائے اور مسجدوں کی تلاشیاں لی جائیں تو اس سے کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے - میں نے اس کے بارے میں ہوم منسٹر صاحب کو خط لکھا تھا اور یہ چاہا تھا کہ ہم کو بتایا جائے کہ وہ کونسی مسجد ہے اور اس میں سے کتنے ہتھیار برآمد کئے گئے - یا صرف تعزیہ کی لکڑیوں کو ہتھیار کا نام دے کر کے یہ بات کہی گئی ہے - تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا صورت ہے - صحیح صورت ہم کو بتائی جائے - ہم نے مل کر بھی تشویش کا اظہار کیا مگر مجھے افسوس ہے کہ اس اہم چیز کے بارے میں جو پورے ملک کو بڑی بدترین اور بھیانک حالت کی طرف لے جا سکتی ہے مجھے آج تک کوئی جواب نہیں ملا - میری خواہش تھی کہ جو صورت حال ہوئی اس کی سرکاری طور پر اور باضابطہ کاروائی کی جاتی تاکہ اس طرح کے تناؤ اور جھگڑے کے جو امکانات ہوتے ہیں انہیں دور کیا جا سکے - یہ پورے ملک کے لئے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے لیکن آج تک اس مسئلہ کے بارے میں بہت کم کیا گیا - اس سے پہلے "آرگنائزر" میں ایک کہانی چھپی تھی جس کے نتیجہ میں نندا جی کے زمانہ میں ایک قتل ہو گیا تھا - اخباروں میں یہ واقعہ چھپا تھا اور میں نے خود بھی نندا جی کے پاس جاکر اس کا ذکر کیا اور آج تک مجھے معلوم نہیں کہ اس پر کیا ایکشن لیا گیا - بڑی بد قسمتی کی بات ہوگی کہ اگر محکمہ کے کارکن اور ملازمین اور افسر پوری طرح سے صورت حال کو سامنے نہ رکھیں اور اس قسم کے حالات ہو جائیں اور اس کے بعد بھی کوئی ایکشن نہ لیا جائے جو ملک کے امن و امان کے لئے بہت ضروری ہے - میں بھی کہتا ہوں کہ اس کی باقاعدہ انکوائری ہونی چاہئے - میرے نزدیک گولی چلانا غیر ضروری تھا - کیوں کہ وہاں پر غریبوں پر اس طرح کی زیادتی ہوئی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہئے - لیکن ہمیں جو دیکھنی چاہئے کہ کہاں کیا کیا چلتا ہے اور اس کی پوری نگرانی ہونی چاہئے کہ ملک میں اس طرح کی خرابی ہوتی چلی جائے ذرا سے معاملوں میں یہ مناسب نہیں ہے - ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کھلے دل سے ، احترام سے ، محبت سے اور رکھ رکھاؤ سے رہنا چاہئے تاکہ ہم سب لوگ امن کی طرف بڑھیں لیکن بدقسمتی سے اس قسم کی تلخیاں پائی جاتی ہیں اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہئے - اگر ہوم منسٹر صاحب صحیح ایکشن نہ لیں اور صورت حال کو نہ دیکھیں تو یہ چیزیں کیسے دور ہونگی - تو میں ہوم منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ان چیزوں کی طرف نظر رکھیں - وہ نظر رکھتے ہیں یا نہیں -

†[**श्री एम० असअद मदनी** (उत्तर प्रदेश) : जहांतक यह बलिया के वाक्यात का ताल्लुक है यह बहुत ही अफसोसनाक है और यह वाक्या है कि वहां पर गोली चलाने की कोई खास वजह नजर नहीं आती थी । जैसा कि इससे पहले कहा गया है कि बहुत आसानी के साथ इसी तरह से लाठी चार्ज किया जा सकता था क्योंकि आधा महमा वहां से हट चुका था और आसानी के साथ बाकी महमा को लाठी चार्ज या अशक आवर गैस से हटाया जा सकता था । लेकिन बद किस्मती से वहां गोली चली जिस से जानें तक जाया हुई, जिससे लोगों का काफी नुकसान हुआ लेकिन बद किस्मती से यह मस्जिद के सामने बाजे बजाने या इसी तरह के झगड़े और ऐसे वक्त में जब कोई मुशतहल हजूम होता है तो

†[ ]Hindi transliteration.

मामूली वजह से भी और बिला वजह बहुत आसानी के साथ कोई ढेला आया और झगड़ा हो गया । यह बद किस्मती है कि अंग्रेजों की तारीख से यह मनहूस वरसा हमें मिला है जो अभी भी बाकी है और उसको दूर होना चाहिए । लेकिन इससे ज्यादा परेशानी इस बात की है हमारी होम मिनिस्ट्री ने इस मामले में पूरी तवज्जो की या नहीं । 29 जून को आर्गेनाइजर में गोलवालकर जी की तरफ से एक इन्टरविय़ू शाया हुआ था जिस में कहा गया था कि मस्जिदों में हत्थियार जमा किए जाते हैं । और यह भी कहा गया कि सेन्ट्रल सी०आई०डी० के एक इंस्पक्टर या बड़े आफीसर कोई आए थे जिसको उन्होंने बताया था और उन्होंने जाकर कई ट्रक हत्थियार बरामद किए किसी मस्जिद से । इस तरह से किसी इबादत गाह के मुतअल्लिक जो एक मोहतरिम जगह है अगर लोगों में बड़ी जमायत और बड़े आदमियों की तरफ से जिनके लाखों रज़ाकार हैं जो ट्रेनिंग से मुसलाह हैं अगर इस तरह आवाम में आग पैदा की जाए तो फिर मस्जिद इबादतगाह से क्या क्या हादसे नहीं हो सकते । जहां पब्लिक जोश में आजाए और मस्जिदों की तलाशियां लीं जाएं तो उससे कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है । मैंने इसके बारे में होम मिनिस्टर साहब को खत लिखा था और यह चाहा था कि हमको बताया जाए कि वह कौन सी मस्जिद है और उसमें से कितने हत्थियार बरामद किए गए या सिर्फ तहज़रिया की लकड़ियों को हत्थियार का नाम दे कर के यह बात कहीं गई है । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सूरत है । सही सूरत हमको बताई जाए । हमने मिल कर भी तशवीश का इज़हार किया मगर मुझे अफसोस है कि उस अहम चीज़ के बारे में जो पूरे मुल्क को बड़ी बदतरीन और भयानक हालत की तरफ ले जा सकती है मुझे आजतक कोई जवाब नहीं मिला । मेरी ख्वाहिश थी कि जो सूरतेहाल हुई थी उसकी सरकारी तौर पर और बाज़ाबता कार्रवाही की जाती ताकि इस तरह के तनाव और झगड़े के जो इमकानात होते हैं उन्हें दूर किया जा सके । यह पूरे मुल्क के लिए एक बड़ा अहम मसला है लेकिन आज तक इस मसले के बारे में बहुत कम किया गया । इससे पहिले आर्गेनाइजर में एक कहानी छपी थी जिसके नतीजे में नन्दा जी के ज़माने में एक कतल हो गया था । अख़बारों में यह वाक्या छपा था और मैंने खुद भी नन्दा जी के पास जा कर उसका ज़िकर किया और आज तक मुझे मालूम नहीं कि इसपर क्या एक्शन लिया गया । बड़ी बदकिस्मती की बात होगी कि अगर महकमा के कारकून और मुलाज़मीन और अफसर पूरी तरह से सूरतेहाल को सामने न रखें और इस किस्म के हालात हो जाएं और उसके बाद भी कोई एक्शन न लिया जाए तो मुल्क के अमन ओ अमान के लिए बहुत जरूरी है । मैं भी कहता हूं कि उसकी बाकायदा इन्क्वायरी होनी चाहिए । मेरे नज़दीक गोली चलाना गैर जरूरी था । क्योंकि वहां पर गरीबों पर इस तरह की ज्यादती हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए । लेकिन हमें जड़ देखनी चाहिए कि कहां क्या क्या चलता है और इसकी पूरी निगरानी होनी चाहिए कि मुल्क में इस तरह की खराबी होती चली जाए जरा से मामलों में यह मुनासिब नहीं है । हम लोगों को एक दूसरे के साथ खुले दिल से एतराम से मोहब्बत से और रख रखाव से रहना चाहिए ताकि हम सब लोग अमन की तरफ बढ़ें लेकिन बदकिस्मती से इस किस्म की तलखियां पाई जाती हैं और उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए । अगर होम मिनिस्टर साहब सही एक्शन न लें और सूरते हाल को न देखें तो यह चीजें कैसे दूर होंगी । तो मैं होम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वह इन चीजों की तरफ नज़र रखें । वह नज़र रखते हैं या नहीं ।]

श्री विद्या चरण शुक्ल : जी हां, इन सब चीजों के ऊपर नज़र रखते हैं । जिस मसले के ऊपर माननीय सदस्य ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है, उसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, पर उसके बारे में जरूर जांच पड़ताल करेंगे ।

MR. CHAIRMAN : I must give a firm ruling on one matter and *i** is that those names which are not mentioned here in this Calling Attention will not be called. Otherwise it will be impossible to get on with the business.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : I have already been called, Sir.

MR. CHAIRMAN : If so, it is unfortunate and I am sorry for it, and hereafter I shall not call like this.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : Nobody outside the list.

MR. CHAIRMAN : When there are too many names as in today's list, it is impossible for me to give the occasion to ,hose outside the list. It is impossible.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं देख रहा हूं कि आप अपनी पहले की व्यवस्था को बदल रहे हैं । इसके पहले आपने रूलिंग दी थी कि जिनके नाम कालिंग अटेन्शन पर नहीं होंगे, तो कम से कम हर पार्टी के एक एक आदमी को जरूर बुलाया जायेगा ।

MR CHAIRMAN : I shall certainly consider it. I shall certainly give the occasion to say what he wants to say, because no name from the Jana Sangh group has been mentioned here.

श्री राजनारायण : कम से कम जनसंघ के आदमी को बुलाया जाय ।

MR. CHAIRMAN : Yes, certainly. Now Mr. Bhandari.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बलिया में इस घटना को हुए जब इतने दिन हो गये और आज वहां पर, केन्द्रीय सरकार की, शासन के लिए सीधी जिम्मेदारी है तो इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद ही सरकार ने वहां की जानकारी प्राप्त की और आवश्यक कदम तथा निर्णय लेने के संबंध में पहल की । क्या सरकार ने इस कारण से किया ? क्या अब वह सारी जानकारी प्राप्त होने पर विचार करेगी कि वहां पर ज्युडिशियल इन्क्वायरी होगी ? अगर इस प्रकार की घटना हो जाय और कालिंग अटेन्शन नोटिस सरकार के सामने न आये, तो वहां पर न्यायिक जांच आवश्यक है या नहीं । क्या इस प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : सभापति महोदय, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह सब सूचना हमारे पास अवश्य आई थी । कालिंग अटेन्शन के बाद ही सूचना आई थी, ऐसी बात नहीं है । जहां तक न्यायिक जांच की मांग का सवाल है हम लोगों के पास जो सूचना राज्य सरकार से आई थी, उस पर हम लोगों को यह नहीं लगा कि न्यायिक जांच आवश्यक है । उसके बाद भी यह मांग की गई, इस तरह का मैमोरेन्डम सब लोगों की तरफ से आया, तब हमने कहा कि जरूर विचार किया जायेगा । हमारे पास जो पहले सूचना आई थी, यदि उससे ऐसा लगता कि न्यायिक जांच करने की आवश्यकता है, तो हम अवश्य जांच करते । चूंकि हमें ऐसा नहीं लगा, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया । अब माननीय सदस्यों ने अपनी राय दी है और सब पार्टियों की तरफ से मैमोरेन्डम भेजा गया है, वह जब आ जायेगा, तब हम उसके बारे में सोच विचार करेंगे ।

SHRI A. P. CHATTERJEE : Sir, may I also put a question on Gonda and Chhata?

MR. CHAIRMAN : Let me proceed with the names that are mentioned here. Mr. Jagat Narain is not here. Now Mr. Tarkashwar Pande.

श्री तारकेश्वर पांडे : श्रीमन्, एक क्वेश्चन जो बलिया के संबंध में छूट गया है, वह मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं । यह जो पैम्प्लेट में बात कही गई है बलिया में प्रकाशित करने की, उसमें कहा गया है कि वहां पर कम्युनल टैन्शन था । मैं ओथ से कहता हूं कि यह बिल्कुल गलत और मिथ्या है । यह जो गोली चलाई गई, मुसलमानों की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति न लिखी गई और न जबान से की गई । मुसलमानों के ऊपर हिन्दुओं के जलूस वालों ने किसी किस्म का कोई ढेला नहीं फेंका ।

तब प्रश्न यह है कि जब वहां पर कम्युनल टैन्शन नहीं था, किसी प्रकार की कोई रोक नहीं थी, मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं थी, निमाज नहीं पढ़ी जा रही थी, तो फिर जलूस के न जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

दूसरा प्रश्न मैं यह करना चाहता हूं कि श्री बलदेव उपाध्याय का जो पत्र है उसको पढ़ देना चाहता हूं :

"यहां महावीर संघ का जो 8-8-68 को जलूस निकला था, उसमें पुलिस ने अनावश्यक रोकटोक की । पुलिस ने अनावश्यक रोकटोक करके झगड़ा बढ़ाकर लाठी चार्ज किया और बिना वजह गोली चला दी । एक आदमी मर गया और एक लड़का घायल हुआ, वह अस्पताल में है । उनके बचने की आशा नहीं है । हिन्दू मुसलमानों में कोई झगड़ा नहीं था । हमारे घर के पासवाली मस्जिद के सामने यह दुर्घटना ई ।"

अब प्रश्न यह है कि जब साम्प्रदायिक तनाव नहीं था, आज भी साम्प्रदायिक तनाव नहीं है, तो उस जलूस को रोकने की जिम्मेदारी किस पर है । उसको क्यों रोका गया । क्या ऐसी ही अधिकारियों द्वारा वहां पर जांच कराई जायेगी ।

मैं उसी शहर का रहने वाला हूं और उसी मुहल्ले से सटा हुआ मेरा घर है । पुलिस ने जब गोली चलाई तो वहां पर लगभग 13 और 14 मकान सटे हुए थे और उसी के बाद टैलीफोन लगा हुआ था । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस कप्तान अपने घर में विराजमान थे और पुलिस इसकी सूचना नहीं देती है । एक अधकचरा नौजवान मजिस्ट्रेट और डी० वाई० एस०पी० जो अभी हाल में ही इस पोस्ट में लगा है न किसी की सलाह लेता है और न किसी से बात करता है । वह लाठी चार्ज करने की आज्ञा दे देता है । और उस के बाद गोली चलाने की आज्ञा दे देता है । उस की जिम्मेदारी किस के ऊपर है । ऐसे अधिकारियों का सरपरस्त जिलाधीश अगर जांच करे तो क्या नतीजा निकल सकता है यह आप सोच सकते हैं । मैं कहता हूं कि अगर इसी प्रकार की अनावश्यक बातें की गयीं तो स्थिति को सुधारा नहीं जा सकता है । वहां किसी प्रकार का कोई सामान्य तनाव नहीं है । मैं आप से, इस पूरी संसद की तरफ से निवेदन करना चाहता हूं और आप के जरिये होम मिनिस्टर से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत इंतजार करने और प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है । इस की अविलम्ब एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा जांच करा दी जाय । यही मेरा निवेदन है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : आप ने सभापति महोदय, देखा होगा कि इसी संबंध में दो अलग अलग तरह के वरशन्स अभी माननीय सदन के सामने आये हैं । यह बात तो निर्विवाद है कि इस के बारे में जांच होनी आवश्यक है । तो यह जो मांग की गयी है उस के बारे में सोच विचार कर के जल्दी ही कोई निर्णय लिया जायगा कि किस तरह की जांच हमें करना चाहिये ।

MR. CHAIRMAN : Now regarding Gonda, Mr. Bhargava.

SHRI M. P. BHARGAVA : Sir, from the statement of the hon. Minister . . ,

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं जैसा कि भार्गव जी ने कहा था, उसी तरह से मैंने भी कहा था कि गोंडा तथा छाता, जिला मथुरा के कालिंग अटेंशन की जानकारी हम को भी है और इस के लिये हम ने 6 बार नोटिस दिया है । तो हमारी जानकारी माननीय सदस्य चाहेंगे और यदि पहले जान लेंगे तो अच्छा होगा । अगर भार्गव जी को जानकारी हो तो मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि आप पहले ही सुन चुके हैं कि गोंडा में श्री रामसेवक यादव गये, कलक्टर से मिले और. . .

MR. CHAIRMAN : I shall give you an opportunity.

श्री राजनारायण : अपार्चुनिटी तो आप मुझ को देंगे ही।

SHRI M. P. BHARGAVA : I am prepared to concede to Mr. Rajnarain.

श्री राजनारायण : तो अब यह पुरानी प्रथा के मुताबिक नहीं चल रहा है। हमारा प्रश्न यह है कि गोंडा में पुलिस का कथित अत्याचार नहीं, ठीक ठीक अत्याचार है। श्रीमन्, यह 30 मई को गोंडा में जबरदस्त उपद्रव हुआ। हथियागढ़ एक गांव है। वहां पर जो फारेस्टर होते हैं जंगल विभाग के वह किसानों से पांच, पांच सेर हर फसल पर गल्ला जबरदस्ती लेते हैं। कुछ किसान दे देते हैं, कुछ किसान नहीं देते हैं। तो वहां का फारेस्टर, जो जंगल गार्ड था वह एक किसान के पास गया। उस से जबरदस्ती गल्ला मांगने लगा। उस ने कहा कि हमारे पास गल्ला नहीं है। हम गल्ला नहीं देंगे। तो उस मामले को ले कर एक सत्यनारायण जी शुक्ल हैं, जो जंगल विभाग की ओर से गये थे, उन से झगड़ा हुआ। तो इस की रपट सत्यनारायण शुक्ल ने और रमई ने, जिस के ऊपर कि सारी आफत आयी है, इन दोनों ने थाने में लिखायी। आज तक मैं समझता हूं कि आज भी घर मंत्री के पास इस की जानकारी नहीं करायी गयी होगी कि सत्यनारायण शुक्ल और रमई ने, दोनों ने थाने में पहले ही रपट लिखा दी थी कि झगड़ा हुआ।

अब इस के बाद 30-5-68 को सत्यनारायण शुक्ल, वन रक्षक जगदीश और सादुल्ला नगर थाने के दो सिपाही रमई, उस की औरत रूपकली और उस के बेटे राम कुमार को बुरी तरह से पीटे। इन सब ने हल्ला मचाया। जब हल्ला मचा तो गांव के बहुत से लोग आ गये और जब गांव के बहुत से लोग आ गये तो सिपाही भागे। उन में से एक को रमई की औरत रूपकली ने पकड़ लिया। ऐसा लगता है कि वह औरत ताकतवर है। उन्होंने उस को पकड़ कर रख लिया। और लोग भाग कर थाने पर गये। तो थाने पर खबर की कि एक रक्षक वहां पकड़ कर गांव में बंद कर दिया गया है जब कि ये लोग खुद थाने पर गये और कहा कि साहब, यह आदमी इस इस तरह से अत्याचार कर रहा है, हम लोगों के घर में घुसा हुआ है, जबरदस्ती से गल्ला निकाल रहा है, चल कर उसको पकड़ कर आप ले आइये। तो रमई की तरफ के लोग थाने पर रपट करने जाते हैं कि एक रक्षक गांव में बंद किया गया है, उस को ले आइये। इस के पूर्व ही पुलिस, हथियारबंद पुलिस गांव में आ जाती है और गांव में आ कर के बुरी तरह से प्रहार करती है गांव के लोगों पर और पकड़ कर ले जाती है विशेषकर उस औरत को और उस के बेटे को, उस के भतीजे को और ले जा कर थाने में बंद करती है। रात भर उन को खाना नहीं दिया जाता है। सुबह औरत नंगी की जाती है, लड़का नंगा किया जाता है, भतीजा नंगा किया जाता है और पुलिस के अधिकारियों के दिमाग में यह बात आयी कि चूंकि इसी औरत ने एक रक्षक को पकड़ कर बंद किया था इसलिय इस औरत को विशेष परेशान किया जाय। उस के निजी बेटे को, उस के लड़के को अपनी मां के साथ व्यभिचार करने के लिये वहां की पुलिस जबरदस्ती करती है। गिरा देती है, कहती है कि चढ़ो, इस पर, चढ़ो इस पर। जब वह मां अपनी गुप्तइंद्रियों को अपने हाथ से ढंकती है तो उस का हाथ हटा दिया जाता है, उस के हाथ पर डंडा मारा जाता है। इस के बाद फिर नंगा कर के थाने से बस स्टेशन तक तमाम बाजार की सड़क पर होते हुए (घुमाया जाता है) सभी बाजार के लोग देखें हैं। ऐसी बात नहीं है कि एक दो आदमी देखे हों। बस स्टेशन पर ले जाते हैं। लोग लेजाते हुए देखते हैं। आखिर जब अन्याय होता है तो कुछ देर लगती है लोगों को इस दिमाग के बनाने में कि इस का मुकाबला किया जाय। तो धीरे धीरे वहां पर कुछ सोशलिस्ट पार्टी के लोग, कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग पहुंचते हैं। जो लोग पहुंचे हैं उन में से एक सादुल्लानगर के प्रधान हैं हाशम साहब और संसोपा के मंत्री थे, अब्दुल अजीज साहब थे। इन लोगों ने पुलिस को कहा जो कि इन को नंगा

कर के ले जा रही थी, गाली देते हुए, मारते हुए। उन के इस कुकर्म को खड़े हो कर रोकने की तैयारी के साथ जब ये लोग खड़े हुए तो जनता में तनाव आया और जनता को जुटते देखा तो पुलिस के लोग फिर भागे। फिर जनता ने औरत को कपड़ा दिया, लड़के को कपड़ा पहनाया। यह सच है। श्री रामसेवक यादव, जनरल सेक्रेटरी, संसोपा जो लोक सभा के सम्मानित सदस्य 1952, 57, 62 और 67 में हो कर आये हैं उन्होंने इस की जांच की, संसोपा के राज्य मंत्री को पीछे जा कर घटनास्थल की पूरी रपट दो, उन्होंने जांच की। श्री एस० एम० जोशी, संसोपा के चेयरमैन ने श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी को पत्र लिखा। जिस का हो सका दरवाजा खड़खड़ाया और वहीं पर 11-7-68 को एक जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है जनता का रोष प्रकट करने के लिये। इन तमाम घटनाओं के बावजूद भी पुलिस जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ कर थाने में ले जा रही है, झूठे मुकदमे बना रही है और अनेकों प्रकार के दमनचक्र आज भी वहां थाने की पुलिस जनता के ऊपर चलाये जा रही है। तो मेरा निवेदन है कि सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की। यह घटना कोई मामूली घटना नहीं है। क्योंकि :

> अति सत्य है प्रिय नारियां जिस देश में विपदास हैं,
>
> बस शीघ्र ही वह नष्ट होगा वाक्य ऐसा बुध कहें।

जिस समाज में और खास कर भारतीय समाज में यदि महिलाओं का अनादर होता है और जब जब महिलाओं का अनादर हुआ है तो भारतीय समाज नष्ट हुआ है। एक गरीब घर की औरत को नंगा किया जाय और उस के निजी बेटे को कहा जाय कि तुम इस के साथ व्यभिचार करो, यह कोई मामूली घटना नहीं है। इस घटना के रहते हुए घर मंत्री हम को रपट देते रहते ह इतने दिनों के बाद, मैं समझता हूं कि यह बहुत गंभीर घटना है और साथ ही साथ सम्मानित सदस्यों को इस ओर गंभीर रुख लेना चाहिये, सरकार को गंभीर रुख लेना चाहिये वरना हमारा देश कहां जायगा। इस को न आप बचा पायेंगे और न सरकार बचा पायेगी।

श्री विद्या चरण शुक्ल : सभापति महोदय, मैं ने अपने मूल वक्तव्य में इस के बारे में काफी विस्तारपूर्वक कहा कि किस तरह से यह घटना हुई। उस के साथ साथ मं आप के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो यह दुर्घटना हुई यह हुई 30 मई को और 11 जुलाई को रामसेवक जी यादव ने इस के बारे में बात उठाना शुरू की यहां, वहां, और मैं पहले ही कह चुका हूं कि जब इस तरह का...

श्री राजनारायण : 11 जुलाई को प्रदर्शन था।

श्री विद्या चरण शुक्ल : जब इस तरह के हादसे की रिपोर्ट मिली उस के बाद ही उस जिले के एस०पी० स्वयं गांव में गये दूसरे अधिकारियों को ले कर। गांव में बात चीत की। तो किसी गांव वाले ने यह बात नहीं कही कि किसी आदमी को नंगा किया गया किसी ने अपने मुंह से यह बात नहीं निकाली। इस तरह की बात यहां पर पहली बार हम को सुनने को मिली। यह रिपोर्ट अखबारों में छपी होगी या किसी और ने आरोप लगाया होगा, परन्तु जहां तक गांव वालों का सवाल है, गांव वालों ने एस०पी० से यह बात नहीं कही। जो वहां इंक्वायरी करने गये थे उन के साथ दूसरे अधिकारी भी थे। उन्होंने दुबारा फिर पूछा कि ऐसी कोई बात हुई तो बताइये कि किस ने देखा। लेकिन न इस बारे में किसी ने बताया, न किसी ने आरोप लगाया। और मैंने अपने मूल वक्तव्य में कहा कि यदि इस तरह की कोई बात हमारी आंखों में आती मैं मानता हूं कि यह तो बहुत बड़ी बात है, अगर कोई छोटी बात भी होती है हम उसे गंभीर मानते और इस पर बहुत सख्त से सख्त कार्यवाही की जाती।

1 P.M. इसमें कोई शक नहीं है कि यदि कोई ऐसी बात हो या इससे भी कोई कम बात हो

[श्री विद्या चरण शुक्ल]

तो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिये। पर जब ऐसी बात हुई नहीं, वहां के गांव वाले स्वयं ऐसी बात नहीं कहते तो मैं माननीय सदस्य की बात कैसे मान लूं।

(*Interruption*)

श्री राजनारायण : श्रीमन्, एक प्वाइंट आफ इन्फर्मेशन है। मैं आज भी यह कहने के लिये तैयार हूं कि मंत्री जी ने जो यहां पर बात बहुत ही अधिकारपूर्ण ढंग से और घमंड के साथ कही वह उसी रपट पर आधारित है। देखिये, हम लोगों को जब यह खबर मिली तो हम लोगों को यह यकीन नहीं हुआ कि ऐसी बात इस युग में भी हो सकती है। इसलिये हमने इतनी एहतियात की कि हमने अपने राज्य मंत्री को वहां भेजा। श्री राम सेवक यादव खुद वहां गये। जिस एस० पी० के बारे में बताया जाता है वह वास्तव में उस गांव में गया ही नहीं। जिस एस०पी० के बारे में कहा जाता है कि उसको जांच करने के लिये भेजा गया वह जब थाने पर पहुंचा तो थाने वालों ने उसको बीच में ही रोक लिया। उन्होंने सोचा कि अगर वह वहां जायगा तो हल्ला होगा और गांव के देशभक्त लोग यह कहेंगे कि हां, हुआ, हुआ, हुआ और फिर एस०पी० कैसे छिपायेगा। इसलिये वहां घटनास्थल पर बिना गये ही एस०पी० ने एक झूठी और गलत रपट दे दी।

श्री विद्या चरण शुक्ल : सभापति महोदय, म पहले ही यह साफ कह चुका हूं कि यह रिपोर्ट अधिकृत रूप से हम को उत्तर प्रदेश की सरकार ने दी है . . .

श्री राजनारायण : जिम्मेदारी तो केन्द्र की है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि उसकी जिम्मेदारी हमारी है और हम माननीय सदन के सामने जवाब देह हैं इसके बारे में कोई शक नहीं है। पर जो रिपोर्ट हमारे पास आई है उसको उन्होंने पूरी तरह से जांच पड़ताल कर के अधिकृत रूप से हमारे पास भेजा है और हम यहां अधिकृत रूप से बयान दे रहे हैं। उसमें गर्व का कोई सवाल नहीं है।

SHRI M. P. BHARGAVA : May I know from tbe hon. Minister whether the report received says that the SP who went to conduct an enquiry contacted the women in question and whether her statement is availabli with the police? If that statement is not available, I would request the hon. Home Minister to depute some independent officer to hold an enquiry on the spot there. _

SHRI VIDHYA CHARAN SHUKLA : Sir, I have already indicated that when the SP and the other officer went there, none, including that woman, told them anything. This is the report that we have got.

SHRI M. P. BHARGAVA : Was that woman contacted?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : This has not been specifically mentioned but 'nobody' would include that woman also, who is a resident of the village. If that woman was contacted and if she had alleged this, then they would have said so. Nobody complained that this had happened. So. we could only presume that when the official report says so, no-
I body in the village, who was questioned or was heard, asked about this matter or alleged any such thing. *{Interruption)* Then, we cannot say that the woman
! could have said that but the police had
j avoided her.

SHRI ARJUN ARORA (Uttar Pradesh): He has not replied to Mr. Bhaigava's I question. Mr. Bhaigava's question was I whether that ladv was contacted? The Minister has not stated that she was contacted or vvas not contacted. He has only given a genreal analysis and the dictionary meaning of the word "nobody".

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I have already said that we do not have information as to whether that particular ; woman was specifically contacted, but when I said that nobody has made the allegation, then I presume that even that lady, about whom these allegations have been made, did not make any such allegation. This is what I have said.

SHRI Z. A. AHMAD : Now, Sir, it seems there is a sericus difference on fact?. On the one hand, there is the report of the Police Superintendent, whose sub-ordiiates were embolded by this incident and against whom there ?re serious charges. He is supposed to be the senior police officei who controls his subordinates and the enquiry is entrusted to him. He goes to the village, which has been terrorised. T use the word 'terrorised' because the villagers have been beaten up. Women and men have been dragged to the police station and there the allegation is that they have been made naked, insulted and all the decencies of a civilised life have been offended. New, in view of these ssrious charges, it is a matter of surprise that the very Pclice Supreintendent, against whose subordinates and against whom indirectly—because he is r;sponsible ultimately for law and order there— there are such serious allegations, is sent there to make an enquiry. On the basis of the report of that Superintendent of Police the Government comes to a decision that nothing has happened. On the one side is the version of the Superintendent of Police and on the other is the version of hon. Members of this House and that House. You have to weigh it in the scale. You have to put this on one side and that on the other side and then come to a decision. I should have thought that, in view of the fact that Members of Parliament and responsible political representatives of parties have made such serious allegations on the police, the report of that particular police officer would be given no credence. An independent authority, an independent person should be appointed to go into it. Either these people are telling a falsehood or the police men are telling a falsehood. There are serious differences on facts. Therefore, an independent authority should be set up in order to go into the charges made against the police and the contention of the hon. Members. That is my submission. It is a very fit case for an independent authority or a senior official, who need not be a police officer, or for a Judge to go theie and hold an independent enquiry. The villagers should be given due protection. They should be assured that ihey will not be victimised in case they say anything against the police or in case they give out the facts as they were. Therefore, I submit that the hon. Minister should immediately accept this proposal for holding an enquiry by an independent authority.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I have already indicated the sequence of even's as they took place in my main statement. A forest guard was illegally detained by certain villagers. Then two constables were sent to rescue the forest guard. Then, the people who had been detaining the forest guard attacked those two constables, snatched thier muskets, took away their cartridges and detained one of the constables. The other con stable ran away from there. He went and reported the matter. The police force came and then it rescued the police cons table who was detained there. All these things happened. I do not know whether it is correct to say that the police were terrorising the vil lagers. Regarding this matter a serious allegation has been made and we shall consider what best can be done about

श्री पीताम्बर दास (उत्तर प्रदेश) : मैं कुछ बातें पूछना चाहता हूं । हमारी भी यह जानकारी है कि जहां तक उस औरत और उस के लड़के का किस्सा है वह ठीक है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर यह बात थोड़ी देर के लिये मान भी ली जाय कि पुलिस के कांस्टेबिल को गांव वालों ने घेर लिया तो क्या उसकी सजा यह है कि पुलिस जा कर सारे गांव में आतंक का तहलका मचा दे और बिल्कुल ऐसी स्थिति ला दे कि मानो इस देश के अन्दर लॉ ऐंड आर्डर ही नहीं है । जब यह सब कुछ हुआ है तो इसकी इन्क्वायरी क्यों नहीं करा ली जाती ? यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह बहुत साफ बात है कि किसी भी तरह से इस तरह की चीजों का औचित्य नहीं बताया जा सकता । यह ठीक बात नहीं है कि ऐसी बात की जाय । ऐसी बात हुई है या नहीं, इसका पता लगाने का सवाल है । मैंने कहा है कि इसके बारे में हम इन्क्वायरी कर रहे हैं । जहां तक इस स्त्री का सवाल है, इसके बारे में हम लोगों को सूचना नहीं है कि उस स्त्री से पूछा गया या नहीं पूछा गया ।

SHRI A. P. CHATTERJEE : From my own personal experience *of* what the police officers have been doing in certain Thanas of West Bengal. I am prone to believe the truth of the statements which

[Shri A. P. Chatterjee]

"ave fallen from Mr. Rajnarain. Apart 'rom that, my belief or disbelief does not matter, may not matter much for the hon. Minister, but what I am putting to the hon. Minister is a simple question. It is this, that some allegations are made against the police and the Superintendent of Police goes to make an enquiry. That itself is ridiculous and laughable. Even that may be pardonable provided as happens in all cases of enquiries in respect of cognisable offences—certainly it is a cognisable offence to make a woman parade naked, stripped of her clothes, it is a cognisable offence—in all enquiries in regard io cognisable offences the police officers are under an obligation under the law—I am quoting the law—to make enquiries and make written records of what they learn from the villagers. I am putting this question to the hon. Minister whether such a written record of statements obtained from the villagers is there or not. In this connection I may also ask hirn; was any attempt made by the Superintendent of Police to get written statements from the villagers? Were they obtained or not? Was any attempt to get such written statements made or not?

In this connection, Mr. Chairman, I am making this point once again that it is no use making a roving oral enquiry. The enquiry in such cases of serious allegations must be an enquiry in writting, and whether that written enquiry has been made or not, that must be first of all made known to us. That is one thing.

Secondly, the hon. Minister just now said that in view of the seriousness of the allegation he will take further steps. Dr. Ahmad has said that an officer who must not be a police officer should be sent to make an enquiry. I am putting this to the hon. Minister that if he actually accepts the suggestion—and I think that he is a little prone to accepting the suggestion, from what has fallen from his lips just now—in view of the seriousness of the allegations he will think over the matter and see to it that this officer, when he goes for enquiring into the village, will be accompanied by certain independent citizens so that the real fact may come out. This is the second thing which I am putting to the hon. Minister.

The third and the last thing which I am putting to the hon. Minister through you Mr. Chairman, is this that as Mr. Bhargava has said, and at the risk of repetition I will say, we want a statement in writing from the lady in question. That must be procured by the hon- Minister from that lady, and that statement of the lady must be taken by a responsible officer in the presence of independent citizens.

These are the three qustions which I am putting to tbe hon. Minister.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : As far as the recording of statements is concerned, the statements were recorded by the Deputy S.P. who went along to the village. *(Interruption.)* They must be available with the State Government. The statements were recorded on 2nd August. As far as the question of citizens accompanying and statement by the woman is concerned, I have already said that I shall give most serious consideration to the suggestion made by the hon. Member and take a decision quickly as to what to do about this matter.

SHRI M. P. BHARGAVA : May I make a submission? The report on the enquiry should be reported to this House.

SHRI A. P. CHATTERJEE : I agree with Mr. Bhargava that it should be reported to this House.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL (Gujarat) : The question was raised on the 14th. Why has he not called for the information ? That should be available today. Was he sleeping all this time? This is a very serious matter. It should shock all decent society that such an atrocity could be committed.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : 1 I have given all information that is ne-! cessary.

श्री जगत नारायण (हरियाणा) : सभापति महोदय, बिलकुल इस तरह का वाक्या तो नहीं इससे मिलता-जुलता वाक्या डा० भार्गव की वजारत में हुआ था, वहां पर मां और बेटे को खड़ा नहीं किया गया था, वहां पर इस तरह का वाक्या हुआ कि सारे गांव को पकड़ लिया गया, 6 आदमियों को नंगा कर दिया, 6 औरतों को नंगा कर लिया और उनसे कहा कि यह कुकर्म करो। उस वक्त जब यह सवाल उठाया गया पंजाब में तो बिलकुल आज की तरह होम मिनिस्टर ने जवाब दिया था। मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करूंगा कि मैं यह समझता हूं कि यह

मामला ऐसा नहीं कि आप इसको इस तरह हल करने की कोशिश करें। वहां किस तरह से हल किया गया ? जब सवाल उठाया गया तो भार्गव साहब ने कहा और ऐसा किया गया कि 5 एम०एल०एज० की ड्यूटी लगाई गई थी और वहां के तमाम पुलिस आफीसर्स को तब्दील किया गया और इन 5 एम०एल०एज० को कहा गया कि आप जाकर अपनी खुफिया रिपोर्ट दो कि वाकई ऐसा वाक्या हुआ है। तो मैं बड़े अदब से वजीर साहब को कहूंगा कि अपने 5–7 एम०पीज० को भेजें और तमाम पुलिस के आफीसर्स को बदल दें, तब पोजीशन मालूम होगी। क्या वजीर साहब इस सुझाव को मानने को तैयार हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैंने कहा कि जो भी माननीय सदस्य कोई सुझाव देते हैं उसके ऊपर हम जरूर सोच-विचार करते हैं। यह जो चीज कही है, यह मानेंगे या नहीं इसके बारे में मैं अभी से कुछ नहीं कह सकता।

SHRI ARJUN ARORA : The Minister appears to be firm in denying what Mr. Rajuarain and Mr. Ram Sewak Yadhav have said as having happened. There are two things about it. It is not Mr. Raj-narain alone who has said that in the House. Certain newspapers have taken courage to publish the whole story. If the Minister is firm in what he says and if he firmly believes that what he has told is correct, will he advise the Government of U. P. to proscute those newspapers which have published this story? Then the newspapers will, in the court of law in thier own defence, have the opportunity to establish the truth of what they have published. It is a serious matter because what is said to have happened has not happened in a city; it has not even happened in a village; it has happened in a forest area. Forest areas are inhabited by the most backward people of our society. But it is our duty to protect them. If they do not come forward and make a Statment, even then the prosecution of these newspapers will give the courts an opportunity to go into the allegations. What has been published in two newspapers which I have received, even a Hindi paper, cannot be dismissed merely because the Superintendent of Police has reported in a particular manner.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I have reported to this hon. House the information which has been conveyed to us by the Government of U.P. I have not either confirmed or denied any of the allegations here. I have only said when the S. P. went to enquire about the allegations with another officer, no such complaints were made to him. And when he wanted to further find out if there were any eye-witnesses, nobody came forward to say all those things. I have also said here that in view of the seriousness of the allegation and the concern expressed by hon. Members we shall further think what further steps we shall take about it. All the suggestions which the hon. Members were making we shall take into consideration.

श्री राजनारायण : एक सवाल है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश संसोपा के राज्य मंत्री श्री रामनरेश कुशवाहा ने अपनी जांच की रपट लिखित साइक्लोस्टाइल कराकर तमाम सरकारी, गैर-सरकारी, पोलीटिकल पार्टीज सब के पास भेजी, उसकी एक कापी क्या सरकार के पास आई ? उसका एक खास पोर्शन में आपकी इजाजत से पढ़ देना चाहता हूं :—

"दिनांक 30–5–68 को श्री सत्यनारायण शुक्ल ने वन रक्षक जगदीश तथा सादुल्ला नगर थाने के दो सिपाहियों के साथ रमई, उसकी औरत रूपकला और बेटे रामकुमार के हल्ला मचाने पर उनको भी मारा। पुलिस एवं वन विभाग के कर्मचारियों के ज्यादती करने पर गांव वालों ने जब घेरा तो उनको भी मारा गया तथा रमई के छप्पर में आग लगायी गयी। छप्पर फूंकने में जगदीश का हाथ भी जल गया था। यह अन्याय और अत्याचार गांव वालों से न सहा गया और उन्होंने जवाब में शक्ति प्रयोग किया तथा एक सिपाही को पकड़ कर बांध लिया, शेष भाग गये।. . ."

"रमई का दामाद उपर्युक्त घटना की लिखित रिपोर्ट ले कर थाने गया लेकिन उसके पहले ही थाने के इंचार्ज एवं अफसर दोयम तथा

[श्री राजनारायण]

मनकापुर के दरोगा दल बल के साथ ट्रक पर बैठ कर हथियागढ़ पहुंचे ।"

कई थाने के लोग हैं ।

"इन लोगों ने गांव वालों पर हमला बोल दिया । जो सामने आ गया उसे मारा तथा टोले में आबाद सभी घरों को लूट लिया, यहां तक कि अन्न, बासन और वसन भी नहीं छोड़ा । इसके पश्चात रमई, रूपकला, राम कुमार तथा कुछ अन्य व्यक्तियों को थाने पकड़ ले गये । वहां रात भर उन्हें बिना खाना पानी रख कर पीटा गया । और रामकुमार को नंगा कर के उसकी नंगी मां रूपकला पर व्यभिचार करने के लिये बढ़ाया गया । मां ने जब दोनों हाथ से अपनी लाज बचानी चाही तो उसके हाथों पर चोट पहुंचाई गई । सुबह दोनों नंगे मां-बेटे को थाना से बस स्टेशन तक नग्न प्रदर्शन कराया गया । ग्राम सादुल्ला नगर के प्रधान श्री हाशमी साहब और संसोपा के मंत्री श्री अब्दुल अजीज के रोष व्यक्त करने एवं हस्तक्षेप करने पर नंगे मां बेटे को वस्त्र दिया गया ।

उपर्युक्त घटना पर अपना क्षोभ और रोष प्रकट करने के लिये 11-7-68 को स्थानीय अधिकारियों के समक्ष जनता ने जन-प्रदर्शन किया ।"

MR. CHAIRMAN : You have stated that already.

श्री राजनारायण : जरा सुनिये । इस घटना में जो फैक्ट है वह क्या है । आगे देखिये ।

"इस थाना में घटी घटना से सम्बन्धित थाने के कुछ कर्मचारियों का स्थानान्तरण तो हुआ है लेकिन फारेस्ट गार्ड एवं रक्षक तथा गिरि नामक सिपाही अब भी अपनी जगह पर विद्यमान हैं ।"

मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को यह खबर क्यों नहीं दी गई कि वहां जनता के क्षोभ को बचाने के लिये कुछ लोगों को वहां से ट्रांसफर भी कर दिया गया है, जिस एक शब्द को अभी तक हमारे मंत्री जी अपनी रपट में यहां नहीं पढ़ा है । आगे देखिये ।

"उपर्युक्त घटना पर पर्दा डालने के लिये हथियागढ़ के कुछ व्यक्तियों को तत्काल जेल भेज दिया गया जिनमें से अधिकांश अब भी जेल में हैं । शेष ग्रामवासी पुलिस के आतंक के कारण गांव छोड़ कर भागे हुये हैं ।

पुलिस के मार पीट के फलस्वरूप गहरे भर की मृत्यु हो गई । . . .

इसमें एक आदमी मर भी गया ।

. . .और रमई की 12 वर्षीय पुत्री छोटकनी आज तक लापता है ।"

यह सारी की सारी घटना लिखित रूप में श्री रामनरेश कुशवाहा ने दी है । मैं आश्चर्यचकित हूं कि हमारे केन्द्र के मंत्री महोदय के पास आज तक यह खबर क्यों नहीं आई, क्यों नहीं पहुंची और अगर पहुंची तो इसकी रोशनी में सरकार ने अब तक जांच क्यों नहीं करवाई ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जो सूचना मेरे पास आई है वह माननीय सदन को मैंने दी है और यह जो एक अखबार पढ़ रहे हैं, यह उनकी सूचना हो सकती है ।

श्री जेड० ए० अहमद : आपके पास सूचना नहीं आई । क्या अखबार की सूचना का कोई महत्व नहीं ?

श्री राजनारायण : शुक्ल जी, जरा जिम्मेदारी के साथ जवाब दीजिये ।

MR. CHAIRMAN : I shall now take up the third point. Do you want to say something, Mr. Bhargava ?

SHRI DAHYABHAI V. PATEL : May I request you to ask the Home Minister to give us a proper reply to this? We will be adjourning in about a fortnight. Before the House adjourns the Home Minister should make enquiries independently and give us a proper report. This is a thing that will shock all human

decent society. I am surprised that the Home Minister is sitting calmly and answering as the British administration used to do in the days before freedom.

SHRI M. P. BHARGAVA : May I know from the hon'ble Minister whether the Sub-Divisional Magistrate in his report has given any reason why he found the two women and the girl badly beaten? What was the cause?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Sir, this is regarding the third incident in the Chhata village. The report that has been given to us says that when they reached the village they found the girl— she had some abrasions here and there— and the two women who were lying on the cot. When pursued the villagers agreed to send them to hospital.

SHRI M. P. BHARGAVA : How did they come to that condition?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I am coming to that. After this the three persons were sent to the hospital. The medical report was obtained- The medical report does not show any ostensible injury or marks of beating on the two women.

As far as the girl is concerned, I have already stated that she had some injuries on her person. It had been stated by the magistrate. He enquired into it and came to the conclusion that the girl sustained this injury. Because she was standing on the roof of the house when the police party approached she had a fall. I am not saying whether this report is correct or incorrect. But this is the report that I have received. That is what the hon'ble Member wanted to know.

MR. CHAIRMAN : Mr. Rajnarain, you want to say something?

श्री राजनारायण : हमारा ही तो सवाल है यह, श्रीमन् ।

मैं पुनः अपने कर्तव्य से च्युत होऊंगा यदि सर्वप्रथम इस घटना के बारे में आपकी इजाजत से सदन के सम्मानित सदस्यों को न बता दूं । मैं वहां हो आया हूं और मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं, माननीय मंत्री जी से बार बार मैंने अनुनय विनय की मगर पता नहीं कि क्यों मंत्री जी वही अंग्रेजी साम्राज्यवादी रवैये पर चल रहे हैं, मैं अफसोस के साथ यह कहता हूं, मैं यह कहना नहीं चाहता लेकिन बाध्य हो कर कहना पड़ रहा है ।

श्रीमन्, देखा जाय । यह घटना 26 तारीख की है । यह छाता को जो थाना है उसमें दो दरोगा हैं, एक बड़का दरोगा और एक छुटका दरोगा और छुटके दरोगा का एक छुटका भाई है, वह कुछ जरा मनचला है, वह कस्बे की लड़कियों से छेड़खानी करता है, वहां कुम्हारों की एक बस्ती है । आप जानते हैं कि कुम्हारों के घर की औरतें बिना पर्दे के बाहर आती जाती हैं और अपना काम-धंधा करती है । तो कई बार वहां के गांव वालों ने खुद यह चीज दरोगा को बता दी कि तुम्हारा छोटा भाई आता है और वहां लड़कियों से छेड़खानी करता है । हो सकता है कि किसी से उसका नाजायज सम्बन्ध भी हो गया हो । तो 26 तारीख की रात को वह वहां पर जाता है । 26 जुलाई की रात में वह वहां गया । गांव वालों ने देखा कि कौन आया, कौन आया और उसको पकड़ लिया और पकड़ कर के उसको बन्द किया । फिर उसके बड़े भाई को पता चला तो उसके बड़े भाई ने सुबह किसी तरह छोटे भाई को छुड़ाया ; यह सही है कि दरोगा के छोटे भाई की गांव वालों ने कुछ मरम्मत कर दी थी और यह ठीक किया था, अच्छा किया । हम अगर होते तो छड़ बिल्कुल लाल कर के उसके चूतड़ में दाग देते ताकि उसको हमेशा याद रहे कि व्यभिचार करने और औरतों से छड़खानी करने का यह मजा मिलता है । तो अब दरोगा लाल हो गया क्योंकि यह भारत में पुराने जमाने का चला आ रहा है कि गरीबों के घरों की औरतें बड़े लोगों की विलासिता की साधन बनी हैं, अब भी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं कुछ ऐसा है, हमारे भार्गव जी जानते होंगे कि नई लड़कियां आती हैं जब गौने में तो पहले रईस के घर भेजी जाती हैं । यह जानते होंगे, जो यह तरीका है. . .

श्री डाह्याभाई व० पटेल : आप जानते हो ।

श्री राजनारायण : अरे भाई जानते हैं । तो वह जो दरोगा है वह दरोगा कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसके छोटे भाई को कुम्हारा बस्ती के जवान रात में बन्द करें और उसको मारें । इसके बाद बड़े दरोगा, तमाम पुलिस के अधिकारी, तमाम पुलिस के जवानों को ले कर, खुद जा कर के दूसरे दिन वहां नंगा नाच करते हैं, खूब गांव लूटते हैं, घरों में घुस घुस कर औरतों को पीटते हैं और ऐसा पीटा कि कहीं कोई लड़की भाग रही है तो छत पर भी जा कर उनको पीटा है, एक तो गिर भी पड़ी है ।

इन तमाम घटनाओं की जानकारी संसोपा के सम्मानित सदस्य उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व विधायक श्री लखी सिंहजी ने कलेक्टर बहादुर को जा कर दी, वहां के पुलिस कप्तान बहादुर को जा कर बताया, तो कलेक्टर ने कहा कि हम एक मजिस्टीरियल इंक्वायरी करायेंगे । एस०डी०एम० को भेज दिया गया और उस एस०डी०एम० की रपट को हमारे घर मंत्री ने पढ़ कर बता दिया ।

मैं रात में 13 तारीख को वहां गया । छात कस्बा कुल मुश्किल से 13 या 14 हजार का है, मगर आप देखें कि 10 हजार के करीब पब्लिक एकदम मैदान में खड़ी बैठी रही और 11 बजे रात तक बैठी रही, वह हमको आने नहीं दे रही थी, कहती थी कि इस दरोगा को हटवा कर जाओ, यह क्या तुम लोग पार्लियामेंट के मेम्बर बने हो कि हमारे घर की औरतें छेड़ी जाय, हमारे साथ व्यभिचार हो, हमारे साथ बदसलूकी हो और तुम पार्लियामेंट के लोग लफ्फाड़ी मारो, मंत्रियों के बगल में बैठ कर चाय पानी करो, तुमको शर्म नहीं आती । मैंने उनसे कहा कि आप घबड़ाइये नहीं, हम जा रहे हैं, घर मंत्री से तुम्हारी शिकायत करेंगे । श्री लखी सिंह जी को हमने बुलाया और कहा कि देखो भूख हड़ताल मत करो, मगर लखी सिंह जी ने हमारी बात नहीं मानी । हमने उनको कहा कि हम किसी दूसरे को भूख हड़ताल करने की राय नहीं देते, जरूरत समझते हैं तो खुद बैठ जाते हैं, हमारे कहने से तोड़ दो और फिर अगर सरकार उचित कार्यवाही नहीं करेगी तो हमारी जिम्मेदारी हो जायगी कि हम खुद बैठें और इस काम को पूरा करें । खैर, वह मामला नहीं बना । हम आये, आ कर के घर मंत्री से कहा फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई । कल लखनऊ गये, होम सेक्रेटरी साहब से बातचीत की, होम सेक्रेटरी साहब से परसों जब लखनऊ में बात की तो कहा कि साहब मथुरा के बारे में आप क्या कर रहे हो तो उन्होंने कहा कि हां, हां, हम लोग सोच रहे हैं, कुछ करें । क्या कर रहे हो । जगत जाहिर है, दुनिया में रोशन है कि दरोगा का भाई बदचलन है, बदमाश है, लड़कियों के साथ बलात्कार करता है, उनको अपमानित करता है, व्यभिचार करता है । तो क्यों नहीं वह दरोगा बदल दिया जाय । सामान्य बात है, एकदम देर हो रही है । मगर मैं छाता की जनता और माननीय लखी सिंह को अपने और माननीय सदस्यों की ओर से मुबारकबाद देता हूं कि इतनी हिम्मत आ गई है कि ठस होकर आप चले जाइये । श्रीमन्, एक, बार आप वहां आ जाएं, 13,000 की जनता औरत मर्द आ जायेंगे । कोई मामूली घटना है । यह हो क्या रहा है । जल्दी जल्दी में मैं भूल गया, हां, एक बस वाला मिल गया, उसका बस जबर्दस्ती दरोगा ने छीन लिया । उसका नाम मैं भूल रहा हूं, उसने हमें लिख कर दिया है कि 13 तारीख को जबर्दस्ती हमारी बस दरोगा ने रोकी और हमारी बस पर कुछ लोगों को चढ़ाया और मथुरा शहर में लाया गया और जिलाधीश के सामने प्रदर्शन किया कि हमारा दरोगा भला है । तो ऐसा करके गुर्गे बनाये जा रहे हैं और पैसा बांटा जा रहा है और कहा जा रहा है कि दरोगा के पक्ष में बात कहो । दरोगा के पक्ष में भी कुछ लोग दूर दूर के आते हैं, छाता के तो नहीं आते, लेकिन आसपास के गांव के लोग आते हैं । मंत्री जी ने रिपोर्ट पढ़ी कि कोई काउन्टरफास्ट कर रहा है । श्रीमन्, जब मैं 13 तारीख को गया था तो वहां पांच आदमी दरोगा के सिपाही लोग पकड़ कर ले आए और

उनको बैठा कर कहा कि ये लखी सिंह की भूख हड़ताल के विरोध में भूख हड़ताल कर रहे हैं। हमने यह बात देखी है। उनमें से एक बेचारा सरक गया, क्योंकि जबर्दस्ती भूख हड़ताल नहीं कर सका था, वहां ये लोग घंटे चार घंटे बैठ जायें, फिर उनकी जगह एक सब्स्टीट्यूट बैठेगा। इससे बढ़कर के फरेब, इससे बढ़ कर के धोका, इससे बढ़कर के जालसाजी क्या हो सकती है, किसी राज में हो सकता है। उस राज को आप जनतंत्र कहोगे, समाजवाद कहोगे। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आज मैं कोई बहुत पैसे वाला नहीं हूं मगर अपना भत्ता लूंगा और श्री शुक्ल जी को न्यौता देता हूं, हमारे साथ चलने में कोई अपमानित नहीं हो जायेंगे, हमारे साथ चले चलें, या अपनी कार्यालय से बनर्जी साहब को भेज दीजिए या किसी जिम्मेदार आदमी को भेज दीजिए और चल कर देखिये कि छाता में क्या हो रहा है। छाता कस्बे में श्रीमन्, आप संतुष्ट हो जाइयेगा कि उस दरोगा के भाई की बदचलनी क्या है और वहां किस तरह का अत्याचार कर रहा है। अगर वह दरोगा नहीं हटाया जाता तो वहां अनर्थ हो जायेगा, गुंडागर्दी होगी, अनेक प्रकार की बदमाशियां और ज्यादतियां होंगी। इसलिये मैं ज्यादा न कह कर अदब के साथ कहना चाहता हूं कि वहां की जनता की मांग पूरी की जाय, दरोगा का ट्रांसफर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमने वहां के एस०पी० को भी कहा, हमने वहां होम सेक्रेटरी को भी कहा, हम राज्यपाल से नहीं मिल पाये वरना उनको भी कहते। उनको हमने बात कहला दी कि अगर आप छाता के मामले को मजबूती से टेक अप नहीं करते तो मामला उलट जायेगा।

यहां पर यह कहा जा सकता है शुक्ल जी की ओर से : कर क्या लोगे ? इतने दिनों तक हड़ताल हो गई तो क्या हो गया ? मगर 13 तारीख को वहां की जनता ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया कि 14 तारीख को मुकम्मल हड़ताल रहेगी छाता में। तो इतनी जनप्रिय, इतनी साधारण मांग कि दरोगा का ट्रान्सफर किया जाय जिससे लखीसिंह का अनशन तोड़ा जा सकता है, तनाव दूर हो सकता है, उस छोटी सी मांग को सरकार क्यों नहीं पूरा कर पा रही है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : सभापति महोदय, जो हादसा हुआ उसके बारे में मैंने पहले ही कहा है और माननीय सदस्य ने खुद उस हादसे की इन्फारमेशन दी, तो जहां तक दरोगा के तबादले का सवाल है, यह मांग श्रीमन्, लखीसिंह आज से नहीं कर रहे बल्कि उसके लिये फास्ट कर रहे हैं और उन्होंने इस बात की मांग की है कि दरोगा का तबादला होना चाहिये। तो इस बात को सामने लाकर माननीय सदस्य ने भी उस दरोगा के तबादले की बात की। जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं कहा, वहां गांव के पांच और व्यक्ति लखीसिंह के उपवास के विरोध में एक उपवास कर रहे हैं . . .

श्री राजनारायण : वही पांच व्यक्ति लगातार फास्ट पर हैं या बदलते जा रहे हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : तो पांच व्यक्ति, दूसरे राजनैतिक दल वाले, उनके खिलाफ फास्ट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कुछ राजनैतिक दल के लोग इधर हैं, दूसरे राजनैतिक दल के लोग उधर हो। तो एक राजनैतिक दल के लोग उस दरोगा के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहे हैं और पांच व्यक्ति उस दरोगा के पक्ष में तो नहीं हैं पर उस भूख हड़ताल के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहे हैं और छाता गांव में पिछली मई से आज तक तरह तरह के राजनैतिक आंदोलन, कई तरह की कार्यवाहियां की गईं, एक दल विशेष ने उस दरोगा को वहां से ट्रांसफर कराने के लिये हर तरह से कोशिश की। इसके बारे में माननीय सदस्य ने स्वयं कहा। मैं इसके बारे में नहीं कहता कि किसका कहना ठीक है किसका कहना ठीक नहीं है। पर जब यह बात सामने आई तब मजिस्टीरियल इन्क्वायरी की गई और उस मजिस्टीरियल इन्क्वायरी की रिपोर्ट

PAPER LAID ON THE TABLE

THE COTTON TEXTILES (CONTROL) SECOND AMENDMENT ORDER, 1968

दो तीन दिन में आ जायेगी । मैं अभी भी नहीं कह सकता कि जो आप कह रहे हैं वह ठीक है या जो रिपोर्ट आई है वह ठीक है, लेकिन जब मजिस्टीरियल इन्क्वायरी की रिपोर्ट आ जायेगी तब उसके बाद सही बात का पता लग सकेगा ।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, एक सवाल हमारा है । मैं आपके जरिये माननीय गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या जो पांच आदमी बैठते हैं वह जो 13 तारीख से हड़ताल पर बैठे हुए थे वही हैं और कै कै घंटे अनशन में बैठते हैं ? क्या वही अनशनकारी हैं या शकल बदल बदल कर वह आ रहे हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह मुझे नहीं मालूम ।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं एक सफायी करना चाहता हूं । बहुत ही गुमराह करने का वक्तव्य माननीय मंत्री जी ने दिया है । कोई राजनैतिक पार्टियों का गुट इस में नहीं है । वहां सीधा सवाल है : पुलिस का जुल्म, पुलिस के जरिये किया गया व्यभिचार, औरतों का अपमान, औरतों की लज्जा का हरण । लखी सिंह एक शानदार मर्द आदमी हैं, यह सही है वह हमारी पार्टी के सदस्य हैं । देखिये, विरोध में कौन प्रचार कर रहे हैं (1) पूरन सिंह—कांग्रस ब्लाक अध्यक्ष, (2) मूलचन्द्र आई—अध्यक्ष युवक कांग्रेस चोमा, (3) रामरक्ष पाल सिंह—प्रा० कां० कमेटी । (4) ईश्वरीसिंह तरौली, (5) रामनारायणसिंह-उपाध्यक्ष, (6) गंगासिंह, भूतपूर्व प्रमुख, (7) देवीराम । यह सब कांग्रेसी चपरगट्टू हैं जो दरोगा साहब से मिलकर पैसा बनाते हैं, तमाम काम करते हैं । हम खाली कांग्रेस पार्टी के लिय नहीं कहते हैं, स्थानीय जो कांग्रेस के चपरगट्टू हैं उनके लिये कहते हैं ।

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI OURESHI): Sir, I beg to lay on the Table, under sub-section (6) of section of 3 of the Essential Commodities Act, 1955, a copy of the Ministry of Commerce Notification S. O. No. 2463 (in English), dated the 2nd July, 1968, publishing the Cotton Textiles (Contiol) Second Amendment Order, 1968. [Placed in Library *See* No. LT-1742/68.]

PRESENTATION OF THE FIFTHREPORT OF THE COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

श्री ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह (बिहार) : मैं अधीनस्थ विधान समिति का पांचवा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

MOTION *RE*- APPOINTMENT OF A MEMBER OF RAJYA SABHA TO THE JOINT COMMITTEE OF THE HOUSES ON THE LOKPAL AND LOKAYUKTAS BILL, 1968

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY): Sir, I beg to move the following Motion :—

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do appoint a member of the Rajya Sabha to the Joint Committee of the Houses on the Bill to make provision for the appointment and functions of certain authorities for the investigatoins of administrative action taken by or on behalf of the Government or certain public authorities in certain cases and for matters connected therewith, in the vacancy caused by the death of Shri Harish Chandra Mathur, and resolves that Shri Ram Niwas Mirdha, Member of the Rajya Sabha, be appointed to the said Joint Committee."

The question was put and the motion was adopted.

RESULT OF ELECTION TO THE COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS

MR. CHAIRMAN : Shri G. H. Valimohmed Momin being the only candidate nominated for election to the Committee on Public Accounts, he is declared duly elected to be a member of the said Committee.